भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 47
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- बकाया कृषि ऋण

*__47. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः__

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में कुल बकाया कृषि ऋण का ब्यौरा क्या है और सीमांत किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने हेतु क्या योजनाएं हैं;

(ख) छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनौपचारिक ऋण को विनियमित करने और उनके लिए कम ब्याज वाले संस्थागत ऋण की सुलभता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार कृषि ऋणग्रस्तता में क्षेत्रीय असमानताओं को किस प्रकार दूर कर रही है और कैसे सर्वाधिक कमजोर कृषक समुदायों के लिए लक्षित राहत सुनिश्चित कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“बकाया कृषि ऋण” के संदर्भ में लोक सभा में 03 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एनएसएस 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) के अनुसार, देशभर में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपए है।

सरकार ने ग्रामीण परिवारों के बीच संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बैंकों के लिए जमीनी स्तर पर कृषि ऋण लक्ष्य का वार्षिक निर्धारण, बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण लक्ष्य, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) आदि के माध्यम से वहनीय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुनियोजित दीर्घकालिक उपाय भी लागू किए हैं। इन पहलों में प्रत्यक्ष नकद लाभ योजनाएं (पीएम किसान), फसल बीमा (पीएमएफबीवाई), सब्सिडी और अनुदान आधारित कार्यक्रम (कृषोन्नति योजना, आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं।

ऋण तक पहुंच में सुधार करने और दीर्घकालिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए, सरकार संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। केसीसीए-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी प्रचालन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आसान और किफायती ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होते हैं। इसे सुगम बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण का शीघ्र पुनर्भुगतान करते हैं, उन्हें 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करने और उनके वित्तीय दबाव को कम करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना कार्यान्वित कर रही है, जो 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्राप्त होती है। यह योजना कृषि और घरेलू आवश्यकताओं के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध कराती है, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में सहायता करती है और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी संस्थागत ऋण पहलों का समर्थन करती है। भारत सरकार ने इस योजना के शुभारंभ से अब तक 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी और इससे 9.34 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

*****